कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट(सोनभद्र)

पत्रांक– 1015 /रेनुकूट/ 15–108 दिनांक,रेनुकूट,सितम्बर, 21 . 2023

सेवा में,

महाप्रबन्धक
नार्दन कोल फील्डस लि0
बीना–सोनभद्र ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की बीना परियोजना को बीना–ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे0 आरक्षित वन भूमि का 30 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षो के पातन की अनुमति के संबंध में ।

(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–**FP/UP/MIN/24551/2017**) ।

संदर्भः–

1–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , केन्द्रीय भवन, पंचम तल ,सेक्टर एच0 अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू0पी0/05/34/2022/एफ0सी0/25 दिनांक– 12.04.2022
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 2947/11–सी– **FP/UP/MIN/24551/2017** लखनऊ दिनांक– 13.04.2022
3–इस कार्यालय का पत्रांक– 3298/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 20.04.2022
4–आपका पत्र दिनांक– 07 दिनांक– 13.07.2022
5–इस कार्यालय का पत्रांक– 299/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 21.07.2022
6–आपका पत्र संख्या– 19 दिनांक– 29.09.2022
7–इस कार्यालय का पत्र संख्या– 1341/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 18.10.2022
8–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 1676/11–सी– **FP/UP/MIN/24551/2017** लखनऊ दिनांक– 14.11.2022
9–इस कार्यालय का पत्रांक– 1594/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 15.11.2022
10–आपका पत्र संख्या– 27 दिनांक– 25.11.2022
11–इस कार्यालय का पत्रांक– 2201/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 04.01.2023
12–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 2548/11–सी– **FP/UP/MIN/24551/2017** लखनऊ दिनांक– 09.02.2023
13–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , केन्द्रीय भवन, पंचम तल ,सेक्टर एच0 अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू0पी0/05/34/2022/एफ0सी0/991 दिनांक– 29.03.2023
14–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 3150/11–सी– **FP/UP/MIN/24551/2017** लखनऊ दिनांक–31.03.2023
15–इस कार्यालय का पत्रांक–3339/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 01.04.2023
16–आपका पत्रांक– बीना/उ0प्र0वन/एफ0सी0/2023/6 दिनांक– 25.04.2023
17–इस कार्यालय का पत्रांक– 3833/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 17.05.2023
18–आपका पत्रांक–09 दिनांक– 31.05.2023
18–इस कार्यालय का पत्रांक– 4284/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 21.06.2023
19–आपका पत्रांक–18 दिनांक– 12.09.2023

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने का कष्ट करे । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक– 29.03.2023 व मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक– 31.03.2023 द्वारा दो बिन्दुओ से संबंधित निम्न सूचना/अभिलेखो की मॉग की गयी :–

क्र0 सं0	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , केन्द्रीय भवन, पंचम तल ,सेक्टर एच0 अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू0पी0/05/34/2022/एफ0सी0/991 दिनांक– 29.03.2023 मे अंकित बिन्दु ।
1	No non –forest land is available in the State for raising Compensatory Afforestation .
2	No other category of forest land such as revenue lands/zudupi jungle/chhote/bade jharka jungle which is not under the management and/or administrative control of the State forest Department is available for raising Compensatory Afforestation

उक्त दोनो बिन्दुओ से संबंधित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु प्रभाग के संदर्भित पत्रो द्वारा अप्रैल 2023 से लगातार आपसे अनुरोध किये जाने के उपरान्त आपके द्वारा अनुपालन न करने के कारण आख्या/सूचना उच्च स्तर पर प्रेषित करने मे विलम्ब हो रहा है । आपके संदर्भित पत्र दिनांक– 12.09.2023 के साथ संलग्न भारत सरकार के पत्र दिनांक– 21.08.2023 के संलग्नक Consolidated Guidelines on raising

Scanned with OKEN Scanner

compensatory afforestation in lieu of diversion of forest ladn under the Forest (Consevation) At 1980. के 4 iv मे निम्न प्रकार अंकित है :–

In exceptional circumstances , when the suitable non-forest land for raising compensatory afforestation is no available and a certificate to this effect is given by the State/UT Government , the compensatory afforestation may be considered on degraded forest land, which is twice in extent to the forest area proposed for diversion in favour of Central Public Sector Undertaking and for captve coal blocks of State Public Sector Undertaking on case to case basis. However this relaxation will no be available in case the project of Central Government undertaking or State Government undertaking involves acquisition of non-forest land by the respective agencies.

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण मे Consolidated Guidelines on raising compensatory afforestation के उक्त पैरा का अवलोकन करने के उपरान्त सरकार द्वारा मॉगी गयी वांछित सूचना/अभिलेख यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करे ताकि अनुपालन आख्या उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा मे प्रेषित की जा सके ।

भवदीय

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

Scanned with OKEN Scanner